

जवाहर नवोदय विद्यालयों
के लिए
राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना

नियम और विनियम

संसदीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

2015

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना

1. युवा संसद प्रतियोगिता योजना का उद्देश्य

प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन की स्वस्थ आदतों को डालने, दूसरे के विचारों के प्रति उदारता तथा विद्यार्थी समुदाय को संसद के कार्यचालन की कुछ जानकारी कराने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्रालय ने नवोदय विद्यालय समिति के परामर्श से पूरे देश के जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता प्रारम्भ करने तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों की 'युवा संसद' की एक वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है।

2. प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए योग्यता

यह योजना देश के सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों पर लागू होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों का चयन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाएगा और उसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों की संख्या के बारे में निर्णय संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा।

3. समयावधि जिसके दौरान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी

प्रतियोगिता का आयोजन प्रति वर्ष उस समयावधि के दौरान किया जाएगा जो नवोदय विद्यालय समिति तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के लिए सुविधाजनक होगी।

4. युवा संसद की बैठक की अवधि

युवा संसद की बैठक की अवधि 55 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें से 10-12 मिनट प्रश्नों पर लगाए जाएं और शेष समय विधेयकों, प्रस्तावों अथवा संकल्पों आदि पर चर्चा करने पर लगाया जाए।

5. युवा संसद में चर्चा के लिए विषय

यह वांछनीय होगा कि युवा संसद में उठाए गए विषय कल्याणकारी गतिविधियों, देश की रक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, साम्प्रदायिक सद्भाव, स्वास्थ्य, विद्यार्थी अनुशासन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित हों। भाषणों में राजनीतिक दलों अथवा नेताओं/व्यक्तियों आदि पर आक्षेप करने वाली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि मानव अधिकारों की संकल्पना पर विशेष रूप से बल दिया जाए और इस विषय पर कम से कम एक मद कार्यसूची में अनिवार्य रूप से शामिल की जाए।

6. भाषा

प्रतिभागी अंग्रेजी/हिन्दी में बोल सकते हैं।

7. स्थान

प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय को साधारणतया युवा संसद की बैठक अपने ही परिसर में करनी चाहिए।

8. योजना की रूपरेखा

प्रतियोगिता दो चरणों में होगी - पहली क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरी राष्ट्रीय स्तर पर।

क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता संबंधित क्षेत्रों के उन विद्यालयों के बीच होगी जिन्हें नवोदय विद्यालय समिति द्वारा उस क्षेत्र से प्रतियोगिता के लिए प्रयोजित किया जाएगा। यह नवोदय विद्यालय समिति के प्राधिकारियों की देख-रेख में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता उन जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच होगी जो क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में अपने अपने क्षेत्र में प्रथम आयेंगे।

निर्णायकों की एक टीम, जिसमें एक सांसद/पूर्व सांसद, नवोदय विद्यालय समिति (मुख्यालय) और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी होंगे, के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रीय विजेताओं को घोषित करने के लिए एक योग्यता सूची बनाई जाएगी।

9. अभिविन्यास पाठ्यक्रम

भाग लेने वाले विद्यालयों में "युवा संसद की बैठक" आयोजित करने वाले प्रभारी अध्यापक को योजना की संकल्पना और पृष्ठभूमि से परिचित कराने के लिए नवोदय विद्यालय समिति के सहयोग से संसदीय कार्य मंत्रालय जवाहर नवोदय विद्यालयों की सुविधजनक अवधि के दौरान दो स्थानों पर दो अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।

10. निर्णायकों की समिति

क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का मूल्यांकन तीन सदस्यों के एक निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा।

क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता के मूल्यांकन के लिए निर्णायक मंडल का गठन उस क्षेत्र के सहायक आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाएगा और उसके सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

1. सांसद/पूर्व सांसद/विधायक/पार्षद/पूर्व विधायक/पूर्व पार्षद।
2. उस क्षेत्र की नवोदय विद्यालय समिति के एक अधिकारी।
3. उस क्षेत्र के भाग न लेने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य या कोई प्रमुख शिक्षाविद।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के मूल्यांकन के लिए निर्णायक समिति का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और उसके सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

1. सांसद/पूर्व सांसद;
2. संसदीय कार्य मंत्रालय का एक अधिकारी; और
3. नवोदय विद्यालय समिति (मुख्यालय) का एक अधिकारी

11. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

संसद सदस्य/पूर्व संसद सदस्य जो निर्णायकों के रूप में कार्य करेंगे उनको इन प्रतियोगिताओं के मूल्यांकन के लिए उस दिन दैनिक भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में उनके लिए लागू नियमों और विनियमों के अनुसार खर्च

का वहन संसदीय कार्य मंत्रालय करेगा। अन्य संबंधित अधिकारी अपना यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अपने संगठनो से अपनी हकदारी के अनुसार प्राप्त करेंगे।

12. योग्यता सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड

विद्यालयों के अभिनय को आंकते समय निर्णायक मंडल निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा:-

| | <u>अंक</u> |
|--|------------|
| (i) अनुशासन एवं मर्यादा | 10 |
| (ii) संसदीय प्रक्रियाओं का पालन | 20 |
| (iii) प्रश्नों एवं अनुपनरक प्रश्नों के लिए विषयों का चयन और उनके उत्तर की गुणवत्ता | 20 |
| (iv) वादविवाद के लिए विषयों का चयन | 10 |
| (v) दिए गए भाषणों की गुणवत्ता, वाद-विवाद का स्तर | 30 |
| (vi) सम्पूर्ण अभिनय का सामान्य मूल्यांकन | 10 |
| | ----- |
| कुल जोड़ | 100 |
| | ----- |

13. पुरस्कार

निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:-

(क) **चल वैजयन्ती (रनिंग शील्ड)**

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय को "पंडित जवाहर लाल नेहरू चल वैजयन्ती" प्रदान की जाएगी। यदि कोई विशिष्ट विद्यालय तीन वर्ष तक लगातार शील्ड को जीतता रहता है तो वह शील्ड उस विद्यालय के पास स्थायी रूप से रह जाएगी।

(ख) **ट्रॉफी**

- (i) प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले विद्यालय को एक और योग्यता ट्राफी भी प्रदान की जाएगी; और
- (ii) क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपने-अपने क्षेत्र में प्रथम आने वाले विद्यालयों को एक-एक ट्राफी प्रदान की जाएगी।

ये ट्राफियां जीतने वाले विद्यालयों द्वारा रखी जाएंगी।

(ग) **पुरस्कार/प्रमाणपत्र**

पुरस्कार और प्रमाणपत्र मूल्यांकन पैनल द्वारा भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थियों को उनके योग्य निष्पादन के लिए प्रदान किए जाएंगे। क्षेत्रीय स्तर पर मूल्यांकन पैनल द्वारा प्रमाण पत्रों के लिए अधिकतम छः विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन पैनल द्वारा पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकतम आठ विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

14. प्रमाण पत्र

- (i) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले विद्यालय को/क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले विद्यालय को/प्रतियागिता में भाग लेने वाले विद्यालय को, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यालय की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय को पुस्कार प्रदान किए जाएंगे।
- (ii) प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों में अपने विद्यालय में "युवा संसद की बैठक" आयोजित करने वाले प्रभारी अध्यापक और क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

- (iii) इसके अतिरिक्त, पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में उनके भाग लेने की स्थिति और स्तर दर्शाते हुए एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

15. अभिनय का पुनः प्रदर्शन एवं पुरस्कार वितरण

प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निर्णीत जवाहर नवोदय विद्यालय को नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में अति विशिष्ट व्यक्तियों के सामने युवा संसद सत्र को पुनः अभिनीत करना होगा। राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता पर प्रथम आने वाले ऐसे विद्यालयों को चल वैजयन्ती/ट्राफी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक समारोह में प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को इस समारोह में स्मृतिचिह्न/प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे।

इस समारोह की तारीख एवं स्थान का निर्धारण केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय करेगा। पुरस्कारों का वितरण उच्च पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। अति विशिष्ट (वी.आई.पी.) और अन्य व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे जो कि इस समारोह का सम्पूर्ण व्यय उठाएगा अर्थात:-

- (क) सभागार/टेंट मदों का किराया;
- (ख) बिजली एवं बैठने की व्यवस्था;
- (ग) निमंत्रण पत्रों की छपाई;
- (घ) डाक खर्च एवं लेखन सामग्री;
- (ङ) जलपान; और
- (च) अन्य फुटकर खर्च।

यह मंत्रालय दिल्ली में पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालयों के सभी भाग लेने वाले विजेता विद्यार्थियों, अध्यापकों और अनुरक्षकों के लिए भोजन और आवास की अपेक्षित व्यवस्था करेगा।

16. नवोदय विद्यालय समिति द्वारा सहायता

नवोदय विद्यालय समिति निम्न प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करेगी:-

- (i) दो भिन्न स्थानों पर दो अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त सभागार आदि उपलब्ध कराने में सहायता और भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था;
- (ii) समारोह का आयोजन करने में सभी संभव सहायता; और
- (iii) संसद सदस्यों/पूर्व सांसदों/अधिकारियों के ठहरने/खाने-पीने परिवहन आदि की व्यवस्था करना जो अभिनय का मूल्यांकन करने और प्रतिभागियों के मार्गदर्शन हेतु आंएंगे।
- (iv) तीन भिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के लिए उपयुक्त सभागार आदि उपलब्ध कराने में सहायता और भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था।

17. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नवोदय विद्यालय समिति को वित्तीय सहायता

जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय, नवोदय विद्यालय समिति को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान करेगा:-

- (i) प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय को प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए किए गए खर्च की रसीदें प्रस्तुत करने पर **₹.25,000/-** तक की सीमा की धनराशि की प्रतिपूर्ति ।
- (ii) दिल्ली में पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने वाले जवाहर नवोदय विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों, प्रभारी अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को 3 टियर वातानुकूलित ट्रेन भाड़ा अर्थात् कुल 130 व्यक्ति [जिसमें राष्ट्रीय विजेता टीम के 60 विद्यार्थी, अध्यापक और प्रधानाचार्य + 56 विद्यार्थी (प्रत्येक शेष 7 जवाहर नवोदय विद्यालयों से 8 विद्यार्थी) + 14 (प्रत्येक क्षेत्रीय विजेता टीम से एक प्रधानाचार्य और एक प्रभारी अध्यापक)।
- (iii) तीन भिन्न स्थानों पर 8 विद्यालयों के राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन आयोजित करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों को **₹.80,000/-** की कुल राशि की प्रतिपूर्ति। ब्योरा निम्न प्रकार से है:-

1. तीन विद्यालयों के राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन आयोजित करने के लिए मेज़बान जवाहर नवोदय विद्यालयों को रू.30,000/-
2. तीन विद्यालयों के राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन आयोजित करने के लिए मेज़बान जवाहर नवोदय विद्यालयों को रू.30,000/-
3. दो विद्यालयों के राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन आयोजित करने के लिए मेज़बान जवाहर नवोदय विद्यालयों को रू.20,000/-

भाग लेने वाले विद्यालय संबंधित वाऊचर सहित किए गए खर्च का विवरण नवोदय समिति (मुख्यालय) के माध्यम से प्रस्तुत करेगा जो कि प्रतियोगिता की समाप्ति पर एक समेकित विवरण बनाकर संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेगी।
